

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर,

अपील संख्या -443/2013/जयपुर

मैसर्स जयपुर फ्लाइवुड एण्ड ग्लास हाऊस,
33, आतिश मार्केट, जयपुर।

.....अपीलार्थी

वनाम्

(i) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,
वृत्त-द्वितीय, जयपुर।

(ii) उपायुक्त (प्रशासन) सीमा प्रबन्धन एवम् प्रतिकरापवंचन,
वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :

श्री एस.के.जेन,

अभिगाथक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.देव,

उप-राजकीय अभिगाथक।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से
निर्णय दिनांक :16.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी ने यह अपील उपायुक्त, (प्रशासन) सीमा प्रबन्धन एवम् प्रतिकरापवंचन वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2013 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत प्रस्तुत की है, जो प्रकरण संख्या-4/2013 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा-34 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र को "सक्षम अधिकारी" द्वारा अस्वीकार करने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "विक्रय कर अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30, 58 व 65 के तहत अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2009-01 का निर्धारण आदेश दिनांक 02.06.2007, पारित कर, मांग राशि रु.3,85,388/- सृजित की गयी थी। उपरत पारित निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 13.12.2010 के प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किया गया जिसकी पालना में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर, आलोच्य अवधि का निर्धारण आदेश दिनांक 26.12.2012 को रु.4,52,120/- मांग राशि कायम कर निर्धारण आदेश पारित किया गया। सक्त पारित आदेश दिनांक 26.12.2012 के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन पत्र प्रत्यर्थी संख्या-2 "सक्षम अधिकारी" के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी "सक्षम अधिकारी" द्वारा सुनवाई कर, आदेश दिनांक 26.02.2013 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसे इस अपील के द्वारा चुनौती दी गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी फर्म के विधिक मालिक/प्रोपराईटर श्री इंदरचन्द का देहांत दिनांक 02.03.2006 को हो गया था एवम् फर्म का निर्धारण आदेश फर्म के बंद होने अर्थात् दिनांक 20.08.2007 तक सम्पादित हो चुका था । कथन किया कि श्री इंदरचन्द के देहांत के पश्चात् समस्त चल एवम् अचल सम्पत्ति का विभाजन/बंटवारा उनके विधिक उत्तराधिकारियों श्रीमति कुसुम गोयल एवम् श्रीमति ऊषा जेजूसारिया के मध्य उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार जरिये दानपात्र दिनांक 24.06.2006 को कर, उक्त को संबंधित उप-पंजीयक जयपुर-पंचम, जयपुर के समक्ष मंजीबद्ध करवा दिया गया है । यही नहीं समस्त स्टॉक एवम् संबंधित बैंक खातों के बारे में भी समस्त जानकारियां निर्धारण अधिकारी को उनके द्वारा जारी नोटिस दिनांक 15.04.2009 की पालना में प्रदान की गयी थी । फिर भी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म के प्रोपराईटर श्री इंदरचन्द के विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी नहीं कर, अपीलार्थी फर्म के नाम से ही आलोच्य अवधि के संबंध में निर्धारण हेतु नोटिस जारी किये गये हैं, जिसे सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना नहीं माना जा सकता। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांत 2012 (33) टैक्स अपडेट 69, 2008 (232) ई.एस.टी. 801, (1985) 156 आई.टी.आर. 153 को प्रोद्धरित कर, न्याय हित में सुनवायी का अवसर प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी ताकि इस संबंध में सुनवायी की जाकर, विधिसम्मत एवम् सही निर्धारण आदेश पारित किये जा सके। तदनुसार, सक्षम अधिकारी के आदेश को अपारत करने की प्रार्थना कर, प्रकरण को संबंधित निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया गया ।

5. विभाग की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि के निर्धारण हेतु विधिक रूप से अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे एवम् उक्त रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध तामिलशुदा नोटिस जो कि अपीलार्थी फर्म के व्यवसाय प्रबंधक श्री बृज मोहन को दिये गये हैं, के आधार पर उचित एवम् विधिक रूप से निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित एकपक्षीय निर्धारण आदेश पारित किया गया है जिसकी पुष्टि कर, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया गया है । अतः न्याय हित में एक और मौका प्रदान करने का कोई विधिक औचित्य नहीं है । अतः प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । हस्तगत प्रकरण के संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी तर्क कि निर्धारण अधिकारी द्वारा फर्म के प्रोपराईटर के देहांत उपरांत उनके विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी किये बिना ही

निर्धारण आदेश पारित किया गया है, अतः उक्त आधार पर पारित निर्धारण आदेश विधिसम्मत नहीं है। जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया गया। इस संबंध में पीठ के समक्ष जो बिन्दु निर्णयार्थ है वह यह कि क्या फर्म के प्रोपराईटर के देहांत उपरांत उनके विधिक उत्तराधिकारियों को नोटिस जारी किये बिना ही निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण आदेश पारित किया विधिसम्मत एवम् उचित है कि नहीं? इस संबंध में अधिनियम की धारा 41 का अवलोकन किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

अधिनियम की धारा 41, business carried on by a firm, an association of persons or a Hindu Undivided Family liable to pay tax, is dissolved or discontinued permanently or where such Hindu Undivided Family is partitioned -

(a) such firm, association or family shall be liable to pay tax in respect of the turnover of the goods and other articles including plant and machinery of such firm, association or family as if there was no such dissolution, discontinuance or partition and all the provisions of this Act shall apply accordingly;

(b)

(c) every person who was at the time of such dissolution, discontinuance or partition, partner or member of such firm, association or family and the legal representative of any such person who is deceased, shall, in respect of the turnover of such firm, association or family, be jointly and severally liable to assessment and payment of tax or other sum, and all the provisions of this Act, so far as may be, shall apply to such assessment and the liability for payment of tax or other sum;

उक्त प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट है कि किसी कारोबार के विघटन, बंद किये जाने या विभाजन पर कर देने की दायी किसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या HUF द्वारा चलाया जा रहा कारोबार स्थायी रूप से बंद होने पर उसी कर देने का दायी उसी प्रकार माना जाएगा माने ऐसा कोई विघटन बंद या विभाजन ही नहीं हुआ हो। इसी प्रकार अधिनियम की धारा 41(c) के अध्ययन से भी यह विदित होता है कि किसी भी कारोबार के विघटन बंद होने

पण्यावर्त के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये कर/मांग राशि को राजवशेष में जमा करवाने हेतु सामुहिक रूप उत्तरदायि होंगे । अतः उक्त प्रावधानों के आलोक में हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी के सभी सदस्य/उत्तराधिकारी निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गयी राशि को अधिनियम के उपर्युक्त अंकित प्रावधानों के तहत जमा करवाने हेतु दायित्वहीन है।

अब हस्तगत प्रकरण के संबंध में जो एक अन्य बिन्दु निर्णयार्थ है वह यह कि क्या अपीलार्थी फर्म को अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के तहत निर्धारण हेतु निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर, सुनवायी हेतु नोटिस जारी किया गया है कि नहीं ? इस संबंध में अधिनियम की धारा 34 का अवलोकन भी किया गया जिसका मूल पठन इस प्रकार है:-

34. Reopening of *ex-parte* assessment. - (1) Where an assessment has been made *ex-parte* under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorized by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

अतः अधिनियम के उक्त प्रावधानों में स्पष्ट है कि संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) यदि इस संबंध में निश्चित हो कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि व्यवहारी को निर्धारण हेतु सन्मन तामिल नहीं हुआ है तो वह निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित निर्धारण आदेश को अपास्त कर, आलोच्य अवधि के संबंध में पुनः निर्धारण हेतु निर्धारण अधिकारी को निर्देशित कर सकते हैं।

इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये प्रकरण के संबंध में तत्कालीन निर्धारण

गया जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया । तत्पश्चात् दिनांक 17.09.2012 को अपीलार्थी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर मौखिक बहस की जिसके बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा पत्रावली आदेशार्थ हेतु सुरक्षित रखी गयी। दिनांक 05.10.2012 को पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 23.10.2012 के लिये सुरक्षित रखी गयी। दिनांक 23.10.2012 को पुनः पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 09.11.2012 हेतु सुरक्षित रखी गयी । दिनांक 09.11.2012 को राजकीय कार्य में व्यस्तता के कारण पत्रावली दिनांक 22.11.2012 के लिये सुरक्षित रखी गयी । दिनांक 22.11.2012 को प्रकरण के संबंध में कतिपय जानकारी प्राप्त करने के मद्देनजर अपीलार्थी फर्म को निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस दिनांक 06.12.2012 के लिये जारी किया गया। दिनांक 06.12.2012 को राजकीय कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11.12.2012 को संबंधित कार्मिक को प्रस्तुत करने हेतु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया। दिनांक 11.12.2012 को पुनः दिनांक 22.11.2012 के क्रम में जानकारी चाहने हेतु नोटिस दिनांक 17.12.2012 के लिये जारी किया गया। दिनांक 17.12.2012 से दिनांक 26.12.2012 तक निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि या फर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति के अनुपस्थिति/उपस्थिति के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा न तो कोई कार्यवाही आदेशिका जो कि रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ क्रमांक 7 पर उपलब्ध है, में अंकित नहीं की गयी है एवम् न ही निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली को किसी भी अपेक्षित कार्यवाही हेतु सुरक्षित रखा गया, बल्कि निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 17.09.2012 को अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा की गयी मौखिक बहस के आधार पर ही निर्धारण आदेश दिनांक 26.12.2012 पारित किया गया। अतः उक्त तथ्यात्मक स्थिति के आलोक में यह पीठ यह अवधारित करती है कि निर्धारण आदेश दिनांक 23.12.2012 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी फर्म के वैध उत्तराधिकारियों को सुनवायी हेतु नोटिस तामिल नहीं हुआ जो कि राजस्थान नूल्य परिधिर्धत कर नियम, 2008 के नियम 48 व विक्रय कर नियम, 1995 के नियम 47 के तहत विधिक आवश्यकता है। फलस्वरूप, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर, निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी फर्म के वैध उत्तराधिकारियों को सुनवायी हेतु नोटिस जारी कर, निर्धारण आदेश पारित करें।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर, प्रकरण उपर्युक्तानुसार निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

